(68)

न्यायालय म. प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र, ग्वालियर (म. प्र.)

नि.ग.-1059-III-16 प्र. क्र /पुनरीक्षण/2016

श्री ... द्वारा आज दि ... को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. इस्लाम गनी पिता एहसान गनी,
आयु– वर्ष, व्यवसाय– कृषि,
2. उस्मान गनी पिता एहसान गनी,
आयु– वर्ष, व्यवसाय--कृषि,
3. लुकमान गनी पिता एहसान गनी,
आयु– वर्ष, व्यवसाय– कृषि,
सभी निवासीयान तिगाला कॉटन,
पटेल चाल, नीमच 2,
तहसील व जिला नीमच (म.प्र.) .... पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, नीमच,
जिला नीमच (म. प्र.) .... विपक्षी

<u>पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959</u>

पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायाल तहसीलदार महोदय, नीमच के प्रकरण क्रमांक 01/अ–68/2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.02.2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर नकल के दिन मुजरा करने पर पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अंदर अवधि में प्रस्तुत है।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार पेश है :–

1. यह कि पुरीक्षणकर्तागण आपस में सगे भाई होकर इनके संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमियां ग्राम हिंगोरिया तहसील नीमच में स्थित हैं, ग्राम हिंगोरिया तहसील नीमच में उनके समुदाय का एक ही परिवार कृषि

(68)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1059-तीन/16 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	